जल संस्थान

आपदा प्रबन्धन

कार्ययोजना

जनपद ऊधमसिंह नगर
वर्ष 2015–16

अध्याय–1
प्रस्तावना, परिकल्पना एवं उद्देष्य

भूकम्प की दृष्टि से यह जनपद संवेदनशील जोन–4 के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त तराई क्षेत्र होने तथा जलस्तर ऊपर होने के कारण बरसात के दिनों में अत्यधिक जलभराव के कारण जनपद में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जनपद में 07 तहसीलें क्रमशः काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, रूद्रपुर एवं गदरपुर तथा 07 विकास खण्ड क्रमशः जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रूद्रपुर, सितारगंज एवं खटीमा स्थित हैं। जनपद में उत्तराखण्ड जल संस्थान की दो शाखाऐं कार्यरत हैं, ऊधमसिंह नगर एवं रामनगर।

शाखा ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत निम्न 05 ब्लॉक सम्मिलित हैं।

- ब्लॉक खटीमा – ब्लॉक खटीमा में उत्तराखण्ड जल संस्थान का इकाई कार्यालय अधिष्ठापित है। कोतवाली के सामने स्थित इकाई कार्यालय में इकाई प्रभारी के रुप में कनिष्ठ अभियन्ता की तैनाती है। वर्तमान में खटीमा इकाई में उपशाखा अधिकारी के रुप में सहायक अभियन्ता भी तैनात हैं।
- ब्लॉक सितारगंज – ब्लॉक सितारगंज में उत्तराखण्ड जल संस्थान का इकाई कार्यालय अधिष्ठापित है। चोरगलिया रोड पर कोतवाली के पास स्थित इकाई कार्यालय में इकाई प्रभारी के रुप में कनिष्ठ अभियन्ता की तैनाती है। वर्तमान में सितारगंज इकाई में उपशाखा अधिकारी के रुप में सहायक अभियन्ता भी तैनात है।
- ब्लॉक रुद्रपुर – ब्लॉक रुद्रपुर में उत्तराखण्ड जल संस्थान की 02 इकाईयां कार्यरत हैं। दोनों इकाईयों में दो अलग–अलग इकाई कार्यालय रुद्रपुर में डी0डी0 चौक व इन्द्रा चौक के बीच में एवं किच्छा में आवास विकास किच्छा में अधिष्ठापित है। प्रत्येक इकाई कार्यालय में वर्तमान में एक ही अधिकारी इकाई प्रभारी के रुप में कनिष्ठ अभियन्ता की तैनाती है। तथा उपशाखा अधिकारी के रुप में रुद्रपुर में अलग से सहायक अभियन्ता एवं किच्छा इकाई में उपशाखा अधिकारी के रुप में सितारगंज के सहायक अभियन्ता कार्यरत है।
- ब्लॉक गदरपुर – ब्लॉक गदरपुर में उत्तराखण्ड जल संस्थान का इकाई कार्यालय अधिष्ठापित है। गदरपुर – गूलरभोज रोड पर स्थित इकाई कार्यालय में इकाई प्रभारी के रुप में कनिष्ठ अभियन्ता की तैनाती है। वर्तमान में गदरपुर इकाई में उपशाखा अधिकारी के रुप में सहायक अभियन्ता भी तैनात है।
- ब्लॉक बाजपुर – ब्लॉक बाजपुर में उत्तराखण्ड जल संस्थान का इकाई कार्यालय अधिष्ठापित है। हल्द्वानी रोड पर तराई बीज विकास निगम के समीप स्थित इकाई कार्यालय में इकाई प्रभारी के रुप में कनिष्ठ अभियन्ता की तैनाती है। वर्तमान में बाजपुर इकाई में उपशाखा अधिकारी के रुप में सहायक अभियन्ता भी तैनात हैं।

शाखा रामनगर के अन्तर्गत निम्न 02 ब्लॉक सम्मिलित हैं–

- ब्लॉक काशीपुर – ब्लॉक काशीपुर में उत्तराखण्ड जल संस्थान का इकाई कार्यालय अधिष्ठापित है। नगर निगम कार्यालय काशीपुर के पास स्थित इकाई कार्यालय में इकाई प्रभारी के रुप में कनिष्ठ अभियन्ता की तैनाती है। वर्तमान में काशीपुर इकाई में उपशाखा अधिकारी के रुप में सहायक अभियन्ता भी तैनात हैं।
- ब्लॉक जसपुर – ब्लॉक जसपुर में उत्तराखण्ड जल संस्थान का इकाई कार्यालय अधिष्ठापित है। देहरादून रोड पर सिंघल नरसिंग होम के पास स्थित इकाई कार्यालय में इकाई प्रभारी के रुप में कनिष्ठ अभियन्ता की तैनाती है। वर्तमान में जसपुर इकाई में उपशाखा अधिकारी के रुप में सहायक अभियन्ता काशीपुर तैनात हैं।

उत्तराखण्ड जल संस्थान ऊधमसिंहनगर का मुख्य कार्य अधिक से अधिक लोगों तक शुद्ध व स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराना, ताकि लोगों में पेयजल से सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याऐं न हों। विभाग के पास वर्तमान में 11 रसायनिक एवं 02 बैक्ट्रियोंलॉजिकल जाँच की सुविधा उपलब्ध है।

अध्याय–2
जनपद के अन्तर्गत मुख्यतः सम्भावित आपदायें, आपदाओं के सम्भावित क्षति का परिमाण

सूखा – जनपद के अन्तर्गत अधिकतर तराई का क्षेत्र है और नदियों के अतिरिक्त भूमिगत जल श्रोत भी उपलब्ध होने से जनपद के अन्तर्गत सूखे से सम्भावित आपदा की सम्भावना अपेक्षाकृत कम है। सूखे की स्थिति में भूमिगत् जल स्तर में और कमी होगी जिसके लिए विभाग द्वारा पेयजल उत्पादन हेतु संचालित नलकूपों में लोअर किये गये पाइपों की लम्बाई बढ़ाने अथवा नये नलकूपों के निर्माण (8–10 दिन में) से पेयजल आपूर्ति में राहत दी जा सकती है।

भूकम्प – न केवल जनपद बल्कि पूरा राज्य भूकम्प के कारण आने वाली आपदा के दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदन''ील क्षेत्र है। विभागीय सेवाओं के दृष्टिकोण से भूकम्प से आपदा में विभाग की भूमिगत् पाइप लाइन एवं ऊर्ध्व जला''ायों एवं नलकूपों के क्षतिग्रस्त होने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो सकती है। सभी ऊर्ध्व जला''ाय भूकम्परोधी होते हैं फिर भी अत्यधिक पुराने ऊर्ध्व जला''ायों के भूकम्प के दौरान क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है। ऊर्ध्व जला''ाय के क्षतिग्रस्त होने पर नलकूप से सीधे पम्पिंग कर पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। भूमिगत पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कर अथवा अस्थाई रुप से नयी पाइप लाइन जोड़कर और अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में टैंकर आदि से पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है। नलकूप के क्षतिग्रस्त होने पर पेयजल का उत्पादन बाधित होगा, ऐसे में पास में स्थित दूसरे चालू नलकूप से अथवा टैंकर आदि के माध्यम से पेयजलापूर्ति की जा सकती है।

बाढ़ – जनपद के अन्तर्गत बाढ़ से आने वाली आपदा की सम्भावना कुछ क्षेत्रों में है, जैसा कि विगत 4–5 वर्षों में अनुभव हुए है, इन क्षेत्रों काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज एवं खटीमा क्षेत्र में बाढ़ से आपदा की सम्भावना रहती है। विगत 4–5 वर्षों में बाढ़ से भारी क्षति का अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

पूर्व में घटित आपदाओं के सम्बन्ध में विभाग के अनुभव–8–9 वर्ष पूर्व बाजपुर में लेवड़ा नदी में बाढ़ के कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। बाढ़ के बाद उक्त पाइप लाइन का संरेखन बदल दिया गया है, जिससे बाढ़ से उक्त पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना

न्यूनतम हो गयी है पेयजल आपूर्ति सुचारु होने लगभग 8–10 दिन तक विभाग द्वारा टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की गई थी। बाढ़ सम्भावित अधिकतर क्षेत्रों में विभाग की पाइप लाइनें नहीं है, जिससे विभागीय सेवाओं के बाढ़ के कारण बाधित होने की सम्भावनाऐं कम है।

अध्याय–3
विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों का विवरण एवं इनमें आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी पक्षों के समावेश की सम्भावनाऐं

उत्तराखण्ड जल संस्थान का मुख्य कार्य पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन कर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बसे परिवारों को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।

आपदा से पहले–आपदा से निपटने के लिए इकाई स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में विभागीय स्तर से इस परिपेक्ष मे कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होते हैं, जहां सम्भव हो उन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु बिछायी गयी पाइप लाइनों का संरेखन बदल कर ऐसे स्थानों पर बिछाया जाना चाहिए जहां आपदा यथा बाढ़ आदि से क्षति न्यूनतम हो। विभाग के पास आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों आदि के तुरन्त मरम्मत करने अथवा तुरन्त पुनःस्थापना हेतु न तो कोई सामग्री इकाई स्टोर में और न ही शाखा स्टोर में उपलब्ध होती है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है, किन्तु मामूली टूट फूट हेतु अल्प मात्रा में सामग्री इकाई/शाखा स्टोर में उपलब्ध रहती है, जबकि आपदा के दृष्टिकोण से इकाई स्टोर, शाखा स्टोर एवं केन्द्रीय स्टोर हल्द्वानी में सामग्री यथा पाइप, वाल्व स्पेष्यिलस् टैंकर आदि उपलब्ध होने आवश्यक हैं ताकि आपदा के बाद पेयजल आपूर्ति सुचारु करने में कम से कम समय व्यय हो।

आपदा की अवधि में–आपदा की अवधि में विभाग द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग एवं विभागीय सेवाओं की बहाली हेतु 10–12 नियमित एवं 25–30 ठेकेदारी प्रथा के कार्मिकों का सहयोग लिया जा सकता है। विभागीय सेवाओं की बहाली एवं क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की मरम्मत अथवा पुनः स्थापना का कार्य मुख्यालय देहरादून/शासन से आवश्यक धनराशि एवं सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त ही किये जा सकते हैं।

आपदा के उपरान्त–आपदा के पश्चात् विभागीय सेवाओं की पुर्नस्थापना किये जाने तक आपदा ग्रस्त क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सामान्य किये जाने हेतु विभाग के पास कोई संसाधन उपलब्ध नही हैं और न ही पर्याप्त मात्रा में धनराशि ही उपलब्ध होती है। प्रत्येक इकाई में कम से कम एक टैंकर होना आवश्यक है, जिससे आपदा ग्रस्त क्षेत्र में सुचारु रुप से पेयजल आपूर्ति हो सके। वर्तमान मे केवल सितारगंज, खटीमा एवं काशीपुर में एक–एक टैंकर उपलब्ध है।

जनपद में विभाग द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवा शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति है जिनकों जनपद में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। पेयजल की शुद्धता एवं स्वच्छता की जांच हेतु विभाग में शाखा स्तर पर एक जल परीक्षण प्रयोगशाला अधिष्ठापित है जिसमें वर्तमान में पेयजल के 11 पैरामीटर एवं 02 बैक्ट्रियोलौजिकल टैस्ट किये जा रहे हैं, वर्तमान तक विभाग द्वारा सम्पादित कार्यो में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित पक्षों का समावेश नहीं किया गया है किन्तु आगामी वर्षों में शासन से प्राप्त धनराशि उपरोक्त का समावेश किया जाएगा।

अध्याय–4

आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा किये जाने वाले उत्तरदायित्वों का विवरण

आपदा से पूर्व

❖ विभाग के पास जागरुकता, प्रशिक्षण एवं नियोजन हेतु धनराशि के अभाव में इनका सम्पादन नहीं किया जाता है। यदि शासन अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि प्राप्त होने पर जागरुकता, प्रशिक्षण एवं नियोजन आदि का सम्पादन अधिक दक्षता से किया जा सकेगा।

❖ आपदा की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही हेतु एक कन्ट्रोल रुम शाखा स्तर पर बनाया जाता है, जिसका दूरभाष सं0 **05944–250631** हैं, जो कि प्रातः 8.00 बजे से रात 8.00 बजे तक कार्य करता है, जिसकी निगरानी का दायित्व शाखा स्तर पर शाखाधिकारी का है।

आपदा के दौरान एवं पष्चात्

❖ उपरोक्तानुसार शाखा स्तर पर बनाये गये कन्ट्रोल रुम से आपदा की जानकरी होते ही आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्यों के साथ–साथ विभागीय सेवाओं की बहाली हेतु उपरोक्तानुसार कार्मिकों को तैनात कर आपदा पीडितों के खोज एवं बचाव का कार्य ब्लॉक स्तर से किया जा सकता है, जिसकी निगरानी शाखा/जनपद स्तर से की जाती है। शाखा द्वारा जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर विभागीय सेवाओं की बहाली हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था का कार्य भी साथ–साथ किया जाता है।

❖ विभागीय सेवाओं की बहाली हेतु इकाई स्तर सूक्ष्म/मामूली क्षतिग्रस्त योजनाओं को मरम्मत करा कर विभागीय सेवाओं को बहाल करने का कार्य सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए मामूली रुप से क्षतिग्रस्त विभागीय सेवाओं की बहाली हेतु आवश्यक मात्रा में सामग्री शाखा स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी। मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एवं श्रम की व्यवस्था/नियोजन का कार्य शाखाधिकारी द्वारा तथा उपशाखाधिकरी द्वारा शाखाधिकारी से सामग्री एवं श्रम की व्यवस्था एवं कनिष्ठ अभियन्ता से विभागीय सेवाओं की न्यूनतम समय में बहाली एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण करने हेतु समन्वय स्थापित करना उपशाखाधिकारी की जिम्मेदारी है।

❖ अधिक क्षतिग्रस्त योजनाओं को मरम्मत कर विभागीय सेवाओं की बहाली हेतु आवश्यक सामग्री, श्रम एवं धनराशि की व्यवस्था/नियोजन का कार्य शाखाधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं महाप्रबन्धक महोदय से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा। प्राप्त सामग्री, श्रम से विभागीय सेवाओं की बहाली हेतु कार्य सम्पादित कराना कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की जिम्मेदारी है।

❖ आपदा के पश्चात् पेयजल श्रोतों की जांच एवं शाखाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पुनःस्थापना का कार्य कराना एवं पुनःस्थापना होने तक अन्य वैकल्पिक माध्यमों से विभागीय सेवाओं को कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से सुचारु रखना उपशाखाधिकारी की जिम्मेदारी है।

❖ आपदा के दौरान आपदा पीडितों की खोज एवं बचाव, राहत शिविरों का संचालन, राहत व्यवस्था एवं वितरण प्रशासन द्वारा तथा प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा, आपदा पीडितों को स्वास्थ्य शिविरों तक लाने, ले जाने हेतु यातायात व्यवस्था का कार्य परिवहन विभाग द्वारा तथा संचार सेवाओं की बहाली का कार्य दूरभाष विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–5

विभाग द्वारा नियमित रुप से किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रस्तवित कार्यक्रम व उनके सफल सम्पादन हेतु विकसित रणनीति

विभागीय अवसंरचनाओं का मजबूतीकरण– उत्तराखण्ड जल संस्थान का मुख्य कार्य पेयजल योजनाओं का रखरखाव व संचालन है, जिसके लिए विभाग के पास विभागीय अवसंरचनाओं में मुख्यतः पम्पगृह, नलकूप एवं ऊर्ध्व जलाशय तथा भूमिगत पाइप लाइनें है। शासन से विभिन्न मदों में विभाग को प्राप्त धनराशि से समय समय पर आवश्यकतानुसार एवं धन की उपलब्धता के अनुसार इनके मजबूतीकरण हेतु प्रावधान किया जाता है।

विभागीय कार्य विषेष के सन्दर्भ में आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम– शासन से विभाग को विभिन्न मदों में विकास कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से नलकूप एव पम्पगृहों व स्टॉफ क्वार्टस् आदि की मरम्मत व मजबूतीकरण का कार्य समय समय पर किया जाता रहा है। साथ ही पूर्व में बिछायी गयी पी0वी0सी0/ए0सी0 की पाइप लाइन के स्थान आवश्यकतानुसार जी0आई0/एम0एस0 पाइप लाइन को बदलने/विस्तार करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आपदा के समय पेयजल लाइनों को न्यूनतम क्षति पहुंचे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 से जिला योजना से प्राप्त धनराशि से करीब 40.00 लाख की धनराशि को वर्षवार अलग–अलग ब्लॉकों में अवसंरचना के मजबूतीकरण अथवा नव निर्माण हेतु कार्य योजना में प्रावधान किया जा रहा है, ताकि भकम्प एवं बाढ़ जैसी आपदा से अवसंरचनाओं को क्षति न्यूनतम हों। वर्ष 2015–16 में ब्लॉक गदरपुर को उक्त धनराशि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे उनके द्वारा 300 के0एल0 के ऊर्ध्व जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है।

विभागीय कार्य विशेष के सन्दर्भ में आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्थाऐं–विभाग के पास जल मूल्य से प्राप्त राजस्व ही एकमात्र आय का श्रोत है। इस एक मात्र आय के श्रोत से प्राप्त राजस्व, अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त नही होता है। अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति विभिन्न कार्यों यथा डिपॉजिट वर्क से प्राप्त धनराशि, शासन द्वारा जिला योजना से प्राप्त धनराषि के सेन्टेज आदि से प्राप्त धनराशि से अधिष्ठान व्ययों को पूर्ण करने की कोशिष की जाती है। ऐसी स्थिति में विभागीय अवसंरचनाओं के मजबूतीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने से कार्य सम्पादित नही हो पाते है। उपरोक्तानुसार उल्लेखित विभागीय अवसंरचनाओं के मजबूतीकरण हेतु अथवा अपनी आयु पूर्ण कर चुके अवसंरचनाओं के स्थान पर नये निर्माण हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी जो कि विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व से सम्भव नहीं है।

- शाखा स्तर पर शाखाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता को रु0 2.50 लाख तक के कार्यों का प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार है एवं रु0 0.50 लाख तक की सीमा तक विद्युत यांत्रिक कार्यों हेतु प्रशासनिक अधिकार है। योजनाओं के सामान्य रखरखाव कार्यों हेतु रु0 0.15 लाख की सीमा तक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार है।
- वृत स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता–ऊधमसिंहनगर को रु0 10.00 लाख तक की सीमा तक सिविल कार्यों हेतु रु0 5.00 लाख तक की सीमा तक विद्युत यांत्रिक कार्यो हेतु प्रशासनिक अधिकार तथा एवं रु0 1.00 लाख तक सामग्री के क्रय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार है। योजनाओं के सामान्य रखरखाव कार्यों हेतु रु0 0.50 लाख की सीमा तक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार है।
- मण्डल स्तर पर महाप्रबन्धक–भीमताल को रु0 50.00 लाख तक की सीमा तक सिविल कार्यों हेतु एवं रु0 35.00 लाख तक के कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार है। योजनाओं के सामान्य रखरखाव कार्यों हेतु रु0 1.00 लाख की सीमा तक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार है।
- राज्य स्तर पर मुख्य महाप्रबन्धक–देहरादून को समस्त अधिकार प्राप्त हैं।

अध्याय–6
आपदा प्रबन्धन के परिपेक्ष्य में विभागीय क्षमता विकास नीति

प्रशिक्षण का औचित्य–आपदा प्रबन्धन एवं विभागीय सेवाओं के सफल और दीर्घकालिक संचालन हेतु समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक व्यवस्थाऐं की जा सके और नयी नयी तकनीक एवं उपकरणों/सामग्री के प्रयोग से आपदा के न्यूनीकरण के साथ साथ विभागीय सेवाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके किन्तु विभाग स्तर से ऐसी व्यवस्था नहीं होने से विभागीय सेवाओं में दक्षता से पूरा नहीं किया जा सकता है।

प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण–योजना निर्माण के नियोजन (Planning) से लेकर निर्माण एवं दीर्घ कालिक संचालन एवं मित्व्ययता के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। किसी योजना हेतु अवसंरचनाओं का अभिकल्पन यथा आवश्यक मात्रा में पेयजल उत्पादन हेतु नलकूपों की संख्या का निर्धारण, उनकी क्षमता, ऊर्ध्व जालशयों की क्षमता, उनकी गुणवत्ता आपदा की दृष्टि से संवेदनशीलता इसी प्रकार पाइप लाइनों का अभिकल्पन, क्षमता आवश्यक व्यास एवं मोटाई का अभिकल्पन का समस्त कार्य योजना विशेष अथवा क्षेत्र विशेष हेतु एक साथ किये जाना चाहिए भले ही निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाय। विभागीय अवसंरचनाओं के स्थल चयन, निर्माण यथा नलकूप निर्माण हेतु ऐसे स्थान का चयन करना जहां पर्याप्त मात्रा में भूमिगत पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, नलकूप निर्माण के साथ–साथ भूमिगत जल के रिचार्जिंग की व्यवस्था की जा सके संरचना के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार आपदा से न्यूनतम क्षति हो इन सबके लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में नयी एवं आधुनिक तकनीकों एवं सामग्रीयों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण और निरन्तर प्रशिक्षण की आवश्यकता है किन्तु वर्तमान में विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रुपरेखा एवं समय सारणी–विभागीय सेवाओं एवं आपदा प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर किया जाना चाहिए–

- अधीक्षण अभियन्ता एवं उससे उच्च अधिकारियों/कर्मचारियों के स्तर पर मुख्यतः नयी तकनीकों एवं सामग्री के प्रयोग, विभागीय सेवाओं को बेहतर एवं सुदृढ़ करने अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु नियोजन एवं निर्णय–निर्धारण आदि हेतु कम से कम 10 दिनों का प्रशिक्षण माह अप्रैल में किया जाना चाहिए।
- शाखा एवं उपशाखा स्तर पर नियोजन, निर्माण कार्यों का अभिकल्पन, मौके पर कार्यों एवं सामग्री की जांच हेतु, विभागीय कार्यों के ससमय एवं सफल सम्पादन हेतु नियम कानून एवं शासनादशों एवं उनके क्रियान्वयन आदि के सम्बन्ध में पदानुरुप अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों, आपदा प्रबन्धन एवं राहत कार्मिको के मध्य कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण हेतु कम से कम 20–25 दिनों का प्रशिक्षण माह अक्टूबर–नवम्बर में किया जाना उचित रहेगा, क्योंकि माह दिसम्बर से मार्च तक राजस्व वसूली माह मई से सितम्बर तक ग्रीष्मऋतु/वर्षाऋतु मे विभागीय सेवाओ ंकों सुचारु रखने हेतु अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होती है।
- इकाई स्तर पर आपदा विभागीय सेवाओं के सुचारु संचालन एवं रखरखाव व निर्माण कार्यों/राहत कार्यों के निरीक्षण एवं देखरेख के साथ साथ आफिस मैनेजमेंट हेतु, राहत कार्मिको के मध्य कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण।

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमित क्रियान्वयन की व्यवस्था की आवष्यकता है ताकि नियमित प्रषिक्षण के माध्यम से नयी नयी तकनीको उपकरणों के प्रयोग नियम कानूनों में हुऐ बदलाव की जानकरी एवं पूर्व की कमियों को दूर कर और अधिक दक्षता से कार्य किये जाने की आवश्यकता है।
- यदि शासन/प्रशासन स्तर से इन मदों में धनराशि की व्यवस्था की जा सके तो विभागीय सेवओं एवं आपदा राहत के कार्यों में कार्मिकों द्वारा निरन्तर प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक दक्षता से कार्य किया जा सकेगा।

अध्याय–7
विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं की समीक्षा व उच्चीकरण हेतु व्यवस्था

- आपदा उपरान्त विभागीय कार्यों की समीक्षा शाखा स्तर से की जायेगी समीक्षा और आपदा के दौरान/बाद में विभागीय कार्यों के सम्पादन में उत्कृष्टता से कार्य करने वाले राहत कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाना तथा लापरवाह कार्मिको के विरुद्ध कार्यवाही शाखाधिकारी द्वारा किया जायेगा। समीक्षा में विभागीय सेवाओं के सम्पादन में उजागर होने वाली कमियों को दूर करने की व्यवस्था भी शाखा स्तर से वृत्त/मण्डल/राज्य स्तर से आवश्यकतानुसार सहयोग से की जायेगी।
- समीक्षा के दौरान चिन्हित कमियों को दूर करने हेतु उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष आधुनिक तकनीक एवं संसाधनों के उच्चीकरण/कार्मिकों में दक्षता विकास हेतु कार्य योजना बना कर शाखाधिकारी द्वारा क्रियान्वियन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

विभागीय अधिकारियों का विवरण

क्र0	अधिकारियों के नाम	पदनाम	पता	दूरभाष/मोबाईल नं0	ई–मेल पता
1	श्री एस. के. गुप्ता	मुख्य महा प्रबन्धक (विभागाध्यक्ष)	कार्यालय मुख्य महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 'जल भवन', बी–ब्लॉक, नेहरु कॉलौनी, देहरादून।	Off- 0135-2676260 Fax-0135-2676177 9411110601	cgm-js-ua@nic.in guptask89@yahoo.in
2	श्री उत्तम कुमार	महा प्रबन्धक	कार्यालय महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, विकास भवन परिसर (निकट शिक्षा भवन) भीमताल, नैनीताल।	Off- 05942-247364 Fax-05942-247380 8755666695	gmkumn-js-ua@nic.in
3	श्री जे. आर. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कलैक्ट्रेट परिसर ऊधमसिहंनगर।	Off- 05946-266044 Fax-05946-266044 7535801601 9456570065	sehal-js-ua@nic.in
4	श्री तरुण शर्मा	अधिशासी अभियन्ता 5(शाखाधिकारी /नोडल अधिकारी)	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कलैक्ट्रेट परिसर, ऊधमसिंहनगर।	Off- 05944-250631 Fax-05944-250631 9412088189	eeudm-js-ua@nic.in
5	श्री एम. के. टम्टा	सहायक अभियन्ता (रुद्रपुर /मुख्यालय)	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, कलैक्ट्रेट परिसर, ऊधमसिंहनगर।	7535801603	

6	श्री एच. सी. पाल.	सहायक अभियन्ता (गदरपुर)	कार्यालय सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय परिसर, गूलरभोज रोड़ गदरपुर, ऊधमसिंहनगर।	7535801604	
7	श्री मदन सेन	सहायक अभियन्ता (बाजपुर)	कार्यालय सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय परिसर, तराई विकास भवन के पास, हल्द्वानी रोड़ बाजपुर, ऊधमसिंहनगर।	7535801605	
8	श्री आर. के. श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता (किच्छा)	कार्यालय सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय परिसर, कोतवाली के पास, चारेगलिया रोड़ सितारगंज, ऊधमसिंहनगर।	7535801606	
9	श्री आर. के. श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता (सितारगंज)	कार्यालय सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय परिसर, कोतवाली के पास, चारेगलिया रोड़ सितारगंज,	7535801606	
10	श्री बिलाल युनुस	सहायक अभियन्ता (खटीमा)	कार्यालय सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय परिसर, कोतवाली के पास, टनकपुर रोड़ खटीमा, ऊधमसिंहनगर।	7535801607	
11	श्री ए.पी.एन. श्रीवास्वत	कनिष्ठ अभियन्ता (रुद्रपुर)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता नैनीताल रोड़, सिंचाई विभाग निरीक्षण भवन के सामने, रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर।	7535801608	
12	श्री आर. के. तिवाड़ी	कनिष्ठ अभियन्ता (गदरपुर/मुख्यालय)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता गूलरभोज रोड़ गदरपुर, ऊधमसिंहनगर।	7535801609	
13	श्री बदरे आलम	कनिष्ठ अभियन्ता (बाजपुर)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता तराई विकास भवन के पास, हल्द्वानी रोड़ बाजपुर, ऊधमसिंहनगर।	7535801610	
14	श्री ए.पी.एन. श्रीवास्तव	कनिष्ठ अभियन्ता (किच्छा)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता आवास विकास किच्छा ऊधमसिंहनगर।	7535801611	
15	श्री ए.बी. जोशी	कनिष्ठ अभियन्ता (सितारगंज)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता कोतवाली के पास, चारेगलिया रोड़ सितारगंज,	7535801612	

			ऊधमसिंहनगर।		
16	श्री सी. एस. बिष्ट	कनिष्ठ अभियन्ता (खटीमा)	कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता कोतवाली के पास, टनकपुर रोड़ खटीमा, ऊधमसिंहनगर।	7535801613	

आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा तात्कालिक रूप से किये जाने वाले कार्य

जल संस्थान जनपद ऊधमसिंह नगर		
1	**किसी भी आपातकाल की स्थिति में विभाग द्वारा तत्कालिक रूप से किये जाने वाले कार्य**	**जिम्मेदारी अधिकारी का नाम ब्लाकनुसार/मोबाईल नं0**
	• आपदाग्रस्त क्षेत्र में टैकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति • उपलब्ध पेयजल श्रोतों के पेयजल की जाँच	• अधिशासी अभियन्ता शाखा उ0सि0नगर–मो0 9412088189 • अधिशासी अभियन्ता शाखा रामनगर–मो0 9837630810 • सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता, रूद्रपुर–मो0 7535801603, गदरपुर–मो0 7535801604, बाजपुर–मो0 7535801605, किच्छा व सितारगंज–मो0 7535801606, खटीमा–मो0 7535801607, काशीपुर व जसपुर–मो0 9412905879 • सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता, रूद्रपुर–मो0 7535801608, गदरपुर–मो0 7535801609, बाजपुर–मो0 7535801610, किच्छा–मो0 7535801611, सितारगंज–मो0 7535801612, खटीमा–मो0 7535801613, काशीपुर–मो0 9456143484, जसपुर–मो0 9456143484 • लैब एनालिस्ट 8006558548 एवं लैब इन्चार्ज 7535801604
2	**घटना की समाप्ति तक किये जाने वाले अन्य कार्य**	**जिम्मेदार अधिकारी का नाम/मोबाईल नं0**
	• आपदाग्रस्त क्षेत्र में टैकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति • मामूली रूप से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों की मरम्मत का कार्य • उपलब्ध पेयजल श्रोतों के पेयजल की जाँच	• अधिशासी अभियन्ता शाखा उ0सि0नगर–मो0 9412088189 • अधिशासी अभियन्ता शाखा रामनगर–मो0 9837630810 • सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता, रूद्रपुर–मो0 7535801603, गदरपुर–मो0 7535801604, बाजपुर–मो0 7535801605, किच्छा व सितारगंज–मो0 7535801606, खटीमा–मो0 7535801607, काशीपुर व जसपुर–मो0 9412905879

		• सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता, रूद्रपुर–मो0 7535801603, गदरपुर–मो0 7535801604, बाजपुर–मो0 7535801605, किच्छा व सितारगंज–मो0 7535801606, खटीमा–मो0 7535801607, काशीपुर व जसपुर–मो0 9412905879 • सम्बन्धित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ता, रूद्रपुर–मो0 7535801608, गदरपुर–मो0 7535801609, बाजपुर–मो0 7535801610, किच्छा–मो0 7535801611, सितारगंज–मो0 7535801612, खटीमा–मो0 7535801613, काशीपुर–मो0 9456143484, जसपुर–मो0 9456143484 • लैब एनालिस्ट 8006558548 एवं लैब इन्चार्ज 7535801604
3	विभागीय संसाधन सूची	अन्य संसाधनों की सूची
	संलग्नक–1 पर	अतिरिक्त टैंकर शाखा हल्द्वानी फोन नं0 05946–220776, अधि0अभि0 मो0 9412086776, पाइप एवं अन्य सामग्री केन्द्रीय भण्डार हल्द्वानी फोन नं0 05946–220776, अधि0अभि0 मो0 9412086776, शाखा रामनगर फोन नं0 05947–255876, अधि0अभि0 मो0 9837630810

संलग्नक–1

विभागीय संसाधनों की सूची

क्र0 सं0	संसाधनों का नाम	सामग्री की सूची	इकाई	जिम्मेदार व्यक्ति का नाम मोबाईल नं0
1	पी0वी0सी0पाईप 90mm	600	मीटर	शाखा स्टोर कीपर, मो0 9719010193 सहायक अभियन्ता, मो0 7535801603 कनिष्ठ अभियन्ता मो0 7535801609
2	सोडियम हाईपोक्लोराइट	32583	लीटर	
3	सी0आई0डी0ज्वाइन्ट 50 mm	646	नग	
4	सी0आई0डी0ज्वाइन्ट 63 mm	177	नग	
5	सी0आई0डी0ज्वाइन्ट 110 mm	54	नग	
6	सी0आई0डी0ज्वाइन्ट 100 mm Class-10	24	नग	
7	जी0एम0गेट वाल्ब 32mm	15	नग	
8	वाटर मीटर 15mm New	517	नग	
9	सैल्प क्लोजिंग टेप 15mm	223	नग	
10	पाइप रिंच 300mm Heavy Duty	91	नग	
11	पाइप रिंच 350mm Heavy Duty	76	नग	
12	पाइप रिंच 450mm Heavy Duty	48	नग	
13	रैचिट डाई सैट पाइप रिंच 15 to 25mm	27	सैट	
14	रैचिट डाई सैट पाइप रिंच 65 to 80mm	3	सैट	
15	रैचिट डाई सैट पाइप रिंच 100mm	2	सैट	
16	किर्लोस्कर मेल ओरीजेन्टल पम्प 7.5एच0पी0	1	नग	
17	रोलीग बीयरिंग नं0–6305	6	नग	
18	रोलीग बीयरिंग नं0–7220	3	नग	
19	रोलीग बीयरिंग नं0–7312	2	नग	
20	रोलीग बीयरिंग नं0–7317	3	नग	
21	जी0आई0 साकेट 20mm	15	नग	
22	जी0आई0 साकेट 25mm	161	नग	
23	जी0आई0 साकेट 32mm	135	नग	
24	जी0आई0 साकेट 40mm	20	नग	
25	जी0आई0 यूनियन 32mm	135	नग	
26	जी0आई0 यूनियन 40mm	197	नग	

27	बल्क वाटर मीटर 65mm	2	नग	
28	बल्क वाटर मीटर 80mm	3	नग	
29	बल्क वाटर मीटर 100mm	1	नग	
30	बल्क वाटर मीटर 150mm	20	नग	
31	ट्रक माउण्टेड वाटर टैंकर (खटीमा इकाई में) 5000 ली0 क्षमता	1	नग	सहायक अभियन्ता, मो0 7535801607 कनिष्ठ अभियन्ता, मो0 7535801613
32	ट्रक माउण्टेड वाटर टैंकर (सितारगंज इकाई में) 5000 ली0 क्षमता	1	नग	सहायक अभियन्ता, मो0 7535801606 कनिष्ठ अभियन्ता, मो0 7535801612
33	ट्रक माउण्टेड वाटर टैंकर (काशीपुर इकाई में) 5000 ली0 क्षमता	1	नग	सहायक अभियन्ता, मो0 7535801606 कनिष्ठ अभियन्ता, मो0 7535801612
नोट–1. वाटर टेस्टिंग हेतु सभी कैमिकल्स माह दिसम्बर, 2015 तक (900 सैम्पल टेस्टिंग) उपलब्ध है 2. जैविक टेस्टिंग हेतु कैमिकल्स माह सितम्बर, 2015 तक (110 सैम्पल टेस्टिंग) उपलब्ध है।				